

**वन विभाग, हरियाणा सरकार**  
**कार्यालय उप वन संरक्षक, क्षेत्रीय मण्डल, गुरुग्राम**  
**वन परिसर, सोहना रोड, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष-0124-2322057.**

क्रमांक:  
प्रेषित,

दिनांक

**Executive Engineer,**  
Provincial Division No. I,  
PWD B&R Br., Gurugram.

विषय:-

**Diversion of 9.7884 hac. ( 7.5146 hac of Gurugram) of forest land for construction new realignment of Rewari Sohna Palwal road NH-919 OLD NH-71B from km. 41.100 to 49.350 in Sohna Hilly Poration on EPC Mode in the state of Haryana, under Forest Division & Distt. Gurugram.( Proposal No. FP/HR/ROAD/155111/2022)**

सन्दर्भ:-

Minutes of Meeting दिनांक 19.06.2023

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको लिखा जाता है कि आपका प्रस्ताव सी0ए0 साईट उपलब्ध न होने के कारण Project Screening Committee में लम्बित है। वन मण्डल मोरनी-पिंजौर द्वारा सूचित किया गया है कि आपके प्रस्ताव में पुराने प्रस्ताव वाली सी0ए0 साईट अब उपलब्ध नहीं है। अब दिनांक 13.06.2023 को हुई Project Screening Committee की सभा में निर्देश जारी किये गए हैं कि " No representative from user agency was present for discussion, so this proposal will be rejected in case any representative of user agency does not attend next PSC meeting."

अतः इस बारे आपको पुनः लिखा जाता है कि Next PSC meeting में भाग लेवें तथा शीघ्र डाईवर्ट करवाई जाने वाली भूमि के बदले दी जाने वाली समकक्ष गैरवानिकी भूमि को चिन्हित करके भूमि का विवरण जैसे गांव का नाम, खसरा नम्बर, डी.जी.पी.एस. मैप, के.एम.एल. फाईल आदि व पूर्ण राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी, अक्श शिजरा, इंतकाल आदि) इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने का कष्ट करें ताकि आपके प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जा सके अन्यथा FCA, 2022 के अनुसार आपका प्रस्ताव को non responsiveness/delay करने के कारण प्रस्ताव को deregister कर दिया जायेगा।

पृ0 क्रमांक 66369

उप वन संरक्षक,  
गुरुग्राम।  
दिनांक 23/06/23

1. एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0) हरियाणा, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुड़गांव को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,  
गुरुग्राम।  
23/06/23